भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2786
दिनांक 18.03.2020/ 28 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा में पशुओं के मरने पर सहायता प्रदान करना

†2786. श्री ओम प्रकाश माथुरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आपदा के समय पशुओं की मृत्यु के आधार पर सहायता प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से सहायता की मदों और मानदण्डों के अनुसार, छोटे और सीमान्त किसानों को दुधारू पशुओं, भारवाहक पशुओं अथवा ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पशुओं की हानि के लिए वित्तीय सहायता अनुग्रह राहत के रूप में प्रदान की जाती है।

****